झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–52 वर्ष 2019

बसंत कुमार त्रिवेदी उर्फ बसंत त्रिवेदी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री अंजनी कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– अपर लोक अभियोजक।

आदेश सं0 05, दिनांक–08.03.2019

यह आपराधिक विविध याचिका याचिकाकर्त्ता के कहने पर ए0बी0ए0 सं0 5161/2017 में पारित दिनांक 09.10.2017 के आदेश के संशोधन के लिए दायर की गई है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि ए0बी0ए0 सं0 5161/2017 में पारित दिनांक 09.10.2017 के आदेश द्वारा याचिकाकर्त्ता को चार सप्ताह के भीतर अदालत में पेश/आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने के बाद, याचिकाकर्त्ता बैंगलौर को स्थानांतरित कर दिया गया था और वह गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसे अपोलो अस्पताल, बैंगलौर में भर्ती

कराया गया था, इसलिए, याचिकाकर्त्ता निर्धारित समय के भीतर उक्त आदेश के संदर्भ में निचली अदालत में उपस्थित/आत्मसमर्पण नहीं कर सका था। हालांकि, अब वह निचली अदालत में पेश होने/आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। इसलिए यह निवेदन किया जाता है कि इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह तक निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का समय बढ़ाया जाए।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के पूर्वोक्त निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्त्ता को, ए0बी0ए0 सं0 5161/2017 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2017 के संदर्भ में निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की प्रार्थना की अनुमति है। अतः, याची को ए0बी0ए0 सं0 5161/2017 में पारित दिनांक 09.10.2017 के आदेश के अनुसार, ''इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर'', न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

ए0बी0ए0 सं0 5161/2017 में पारित दिनांक 09.10.2017 के आदेश को केवल पूर्वोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

तद्नुसार, इस आपराधिक विविध याचिका का निपटान किया जाता है।

(श्री अनिल कुमार चौधरी, न्याया0)